5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(5)

समक्ष माननीय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

(97)

प्रकरण क्रमांक ....

निगरानी-3041/2018/विदिशा/भू.रा

प्रमोद कुमार जैन,
आयु लगभग 62 वर्ष,
पुत्र श्री रतीचंद जैन
निवासी 3/34 छत्रसाल नगर, फेस-2,
जे0के0 रोड, भोपाल मध्य प्रदेश --- पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. **नगर पालिका परिषद्**
   गंजबासौदा जिला विदिशा,
   द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी

2. **मध्य प्रदेश शासन,**
   द्वारा जिलाध्यक्ष, विदिशा --- प्रत्यर्थीगण

याचिका अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म0प्र0भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता कार्यालय प्रभारी [illegible] तहसील बासौदा, गुलाबगंज नटेरन जिला विदिशा की सीमांकन [illegible] दिनांकित 09.04.2017 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह याचिका पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता ग्राम कस्बा बासौदा सर्वे क्रमांक 540 रकबा 0.291 हैक्टेयर का राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित भू स्वामी है।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा अवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये स्वामित्व को विवादित किये जाने एवं आधिपत्य में हस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया गया था जिस कारण पुनरीक्षणकर्ता को विवश होकर प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विरूद्ध व्यवहार वाद क्रमांक 5[illegible]/1994 [illegible] बासौदा जिला विदिशा [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3041/2018/विदिशा/भू-रा. जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, विदिशा को भेजा जाता है। कलेक्टर, विदिशा प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	